



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

7 चैत्र, 1945 (श०)

संख्या - 192 राँची, मंगलवार,

28 मार्च, 2023 (ई०)

पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग

अधिसूचना

28 मार्च, 2023

संख्या-01/खेल-01/19/क 04--

विभाग के नियंत्रणाधीन आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्रों का अधिष्ठापन एवं संचालन हेतु मार्गदर्शिका सिद्धांत

1. आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत-

- (i) राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में प्राथमिक खेल विधाओं यथा- फुटबॉल, एथलेटिक्स, हॉकी एवं तीरंदाजी के एक-एक (बालक/बालिका) आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जाएगा। पूर्व से जिन जिलों में जिस खेल का आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है, उन जिलों में उस खेल का आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित नहीं किया जाएगा।

- (ii) अन्य खेल विधाओं (ओलम्पिक/एशियन गेम्स/कॉमनवेल्थ गेम्स/राष्ट्रीय खेल में शामिल खेल) के आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना क्षेत्र विशेष में खेल की लोकप्रियता एवं आधारभूत संरचना की उपलब्धता को देखते हुए किया जाएगा।
- (iii) आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र जिला मुख्यालय में अवस्थित स्टेडियम में प्राथमिकता के आधार पर खोले जा सकते हैं, जहाँ आवासन हेतु छात्रावास एवं खेल मैदान की उपलब्धता हो। जिला स्तरीय स्टेडियम में आवासन की सुविधा नहीं होने की स्थिति में जिला मुख्यालय अवस्थित किसी सरकारी अथवा झारखण्ड सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहाँ आवासन हेतु छात्रावास एवं खेल मैदान की उपलब्धता हो, में आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र तब तक के लिए खोले जा सकेंगे, जबतक जिला स्तरीय स्टेडियम में आवासन की व्यवस्था नहीं हो जाता है।
- (iv) किसी भी स्थान पर आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु संबंधित जिला के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला खेल संचालन समिति की अनुशंसा आवश्यक होगी। जिला खेल संचालन समिति आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु अनुशंसा करने के पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं के आधार पर निर्णय लेगी:
- संबंधित क्षेत्र में संबंधित खेल की लोकप्रियता एवं खिलाड़ियों की प्रतिभा/अच्छा प्रदर्शन।
 - खेल स्टेडियम/खेल मैदान की उपलब्धता।
 - विद्यालय के मामले में संबंधित विद्यालय में छात्रावास की सुविधा।
 - खेल मैदान/छात्रावास से विद्यालय की दूरी निकटतम हो।
 - छात्रावास हेतु स्थान की उपलब्धता।
 - पेयजल/शौचालय/विद्युत की व्यवस्था।
 - खिलाड़ियों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से लोकेशन/केन्द्र का चयन।
- (v) जिला खेल संचालन समिति द्वारा परिशिष्ट - 1 पर संलग्न चेकलिस्ट (Checklist) के आधार पर नये आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु प्रस्ताव निदेशक, खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराया जाएगा।
- (vi) जिला खेल संचालन समिति से प्राप्त प्रस्ताव की समीक्षा एवं अग्रेत्तर अनुशंसा विभागीय स्तर पर गठित अनुशंसा समिति द्वारा की जाएगी, जो निम्नवत् होगी:

क्र०सं०	नाम एवं पदनाम	अभ्युक्ति
1.	निदेशक, खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची	अध्यक्ष
2.	आंतरिक वित्तीय सलाहकार, पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग, झारखण्ड, राँची ।	सदस्य
3.	वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रतिनिधि । (अवर सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी)	सदस्य
4.	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रतिनिधि । (अवर सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी)	सदस्य
5.	उप निदेशक, झारखण्ड खेल प्राधिकरण, राँची ।	सदस्य
6.	प्रभारी, भारतीय खेल प्राधिकरण केन्द्र, राँची ।	सदस्य
7.	झारखण्ड ओलम्पिक संघ के प्रतिनिधि	सदस्य

(vii) उक्त विभागीय अनुशंसा समिति की बैठक वर्ष में कम-से-कम दो बार क्रमशः अप्रैल एवं अक्टूबर माह में की जाएगी ।

(viii) विभागीय अनुशंसा समिति की अनुशंसा पर आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु माननीय विभागीय मंत्री द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाएगी ।

2. आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षकों एवं सहयोगी कर्मों की नियुक्ति:-

(i) प्रत्येक आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र में 1 (एक) मुख्य क्रीड़ा प्रशिक्षक एवं 1 (एक) सहायक क्रीड़ा प्रशिक्षक की संविदा आधारित नियुक्ति की जायेगी, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित संविदा आधारित नियुक्ति की प्रक्रिया अपनायी जाएगी ।

- (ii) क्रीड़ा प्रशिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु निम्नांकित अहर्ताएँ होनी चाहिए:-
- शैक्षणिक योग्यता - स्नातक उत्तीर्ण ।
 - भारतीय संस्थान से मान्यता प्राप्त/भारतीय खेल प्राधिकरण अन्तर्गत संचालित National Institute of Sports से डिप्लोमा। विभिन्न खेल संघों द्वारा जारी प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र (Level- A,B,C) धारकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
 - कम-से-कम 03 (तीन) वर्षों का प्रशिक्षण कार्य अनुभव।
- (iii) सहायक क्रीड़ा प्रशिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु निम्नांकित अहर्ताएँ होनी चाहिए:-
- शैक्षणिक योग्यता - स्नातक उत्तीर्ण।
 - संबंधित खेल में व्यक्तिगत अथवा टीम स्पर्धा में जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया हो अथवा व्यक्तिगत/टीम स्पर्धा में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता/अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता में न्यूनतम भागीदारी के साथ 6 (छः) सप्ताह का एन०आई०एस० सर्टिफिकेट कोर्स/ एम०पी०एड०/ बी०पी०एड०/ बी०पी०ई०।
 - कम-से-कम 03 (तीन) वर्षों का प्रशिक्षण कार्य अनुभव ।
- (iv) क्रीड़ा प्रशिक्षकों की नियुक्ति में वैसे प्रशिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्होंने विगत 03 (तीन) वर्षों में राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रशिक्षक के रूप में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की हो अथवा जिन्होंने एक खिलाड़ी के रूप में राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में झारखण्ड राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो ।
- (v) विशेष परिस्थिति में क्रीड़ा प्रशिक्षकों की नियुक्ति हेतु वांछित शैक्षणिक योग्यता एवं उम्र सीमा को क्षांत करने की शक्ति माननीय विभागीय मंत्री के पास होगी ।
- (vi) क्रीड़ा प्रशिक्षकों को देय संविदा भत्ता का निर्धारण वित्त विभाग द्वारा निर्गत प्रासंगिक संकल्प/परिपत्रों के अनुसार गणना कर किया जाएगा ।
- (vii) प्रत्येक आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र में एक वार्डन की संविदा आधारित नियुक्ति की जाएगी ।
- (viii) प्रत्येक आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र में गार्ड/ स्वीपर/ लॉण्ड्री /माली की व्यवस्था बाह्य स्रोत से झारखण्ड खेल प्राधिकरण द्वारा की जायेगी ।
- (ix) प्रत्येक वर्ष क्रीड़ा प्रशिक्षकों के प्रदर्शन की खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय स्तर पर समीक्षा की जाएगी ।
3. आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षुओं के नामांकन हेतु शर्तें एवं मानक:-
- खिलाड़ियों को आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश देने हेतु पात्रता का निर्धारण निम्नांकित शर्तों के अधीन किया जाएगा -

- A. खिलाड़ी ने चालू वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को 10 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिया हो एवं 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं किया हो। (मान्य जन्म प्रमाण पत्र/आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा।)
- B. ऐसे खिलाड़ी जिनकी आयु 14 वर्ष से अधिक है, लेकिन जिन्होंने कम-से-कम राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में भाग लिया हो अथवा राज्य स्तरीय चैम्पियनशिप में पदक प्राप्त किया हो अथवा जिला स्तरीय चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त किया हो, उन्हें आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश देने हेतु विचार किया जा सकेगा।
- C. विभाग द्वारा संचालित डे-बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र/क्रीड़ा किसलय केन्द्र के वैसे खिलाड़ी, जिन्होंने कम-से-कम राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में भाग लिया हो अथवा राज्य स्तरीय चैम्पियनशिप में पदक प्राप्त किया हो अथवा जिला स्तरीय चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त किया हो, उन्हें सीधे आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश देने हेतु विचार किया जा सकेगा।
- D. मेडिकल फिटनेस - खिलाड़ी को निर्धारित चिकित्सीय परीक्षण में उपयुक्त पाया जाना चाहिए।
- E. प्रत्येक आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र में सामान्यतः प्रशिक्षुओं की अधिकतम संख्या 40 (चालीस) होगी।
- F. खिलाड़ियों को झारखण्ड राज्य का निवासी होना अनिवार्य होगा।
- G. खिलाड़ी को माता/पिता/अभिभावक का सहमति पत्र (Consent Letter) प्रस्तुत करना होगा।
- (ii) खिलाड़ियों का आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश के संबंध में अपात्रता का निर्धारण निम्नांकित शर्तों के अधीन किया जाएगा:-
- A. यदि खिलाड़ी द्वारा अपनी उपलब्धियों एवं अन्य दस्तावेज आदि के संबंध में गलत जानकारी दी गई हो।
- B. प्रवेश हेतु निर्धारित समय अन्तराल में खिलाड़ी प्रवेश न ले सके।
- C. ऐसे खिलाड़ी जिसे राज्य या देश की किसी अन्य क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र/ संस्थान में अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र संस्थान में प्रवेश निरस्त किया गया हो, वैसे खिलाड़ी भी आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश के लिए अपात्र माने जायेंगे।
- D. कोई भी प्रशिक्षु यदि डोपिंग/निषेधात्मक पदार्थ का सेवन करते हुए पाया जाएगा तो उसके नामांकन को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा।

4. चयन की प्रक्रिया:-

- (i) चयन हेतु सूचना - सामान्यतया प्रति वर्ष मार्च से अप्रैल के मध्य चयन सूचना जारी किया जायेगा। आवश्यकता होने पर वित्तीय वर्ष में किसी भी तिथि में चयन सूचना जारी की जा सकेगी। उक्त सूचना विभागीय वेबसाईट एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से समाचार पत्रों में प्रकाशित करायी जायेगी ।
- (ii) चयन के मानक - चयन हेतु मानक निदेशक, खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय द्वारा तैयार किये जायेंगे। उक्त मानक तैयार करने हेतु निदेशक, खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची एक समिति का गठन कर सकेंगे, जिसमें संबंधित खेल के विशेषज्ञ भी होंगे। चयन मानक के आधार (बैटरी टेस्ट एवं स्कील टेस्ट) पर खिलाड़ियों का परीक्षण किया जायेगा एवं परीक्षण परिणामों के आधार पर प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया जायेगा ।
- (iii) समय-समय पर राज्य में आयोजित विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को संबंधित प्रशिक्षक की अनुशंसा पर निदेशालय के अनुमोदन उपरांत आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र में नामांकन हेतु चयन किया जा सकेगा ।
- (iv) संबंधित क्रीड़ा प्रशिक्षकों के अनुरोध पर आवश्यकतानुसार उन्हें राज्य के विभिन्न स्थानों पर पॉकेट चयन के माध्यम से प्रशिक्षुओं के चयन करने की अनुमति निदेशालय द्वारा दी जा सकेगी ।

5. आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र में निम्नांकित सुविधाएँ दी जायेगी:-

- (i) वे खिलाड़ी, जिन्हें तकनीकी चयन प्रक्रिया के पश्चात चयनित कर प्रशिक्षण हेतु आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश दिया गया हो, उन्हें छात्रावास में निःशुल्क आवासन एवं भोजन तथा अन्य सुविधाएँ उपलब्ध करायी जायेगी ।
- (ii) खेल उपकरण/खेल सामग्री - आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र के प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के लिए आवश्यक खेल उपकरण एवं खेल सामग्री उपलब्ध कराये जायेंगे। प्रशिक्षक की अनुशंसा पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त खेल सामग्री भी उपलब्ध कराये जा सकेंगे ।
- (iii) भोजन - खिलाड़ियों को प्रतिदिन / प्रति खिलाड़ी आवश्यकतानुसार प्रतियोगिता के अनुरूप/ Training Load के आधार पर Nutritionist के द्वारा निर्धारित डाईट चार्ट के अनुरूप प्रतिदिन का संतुलित भोजन देय होगा, जिसपर अधिकतम ₹० 350/- (तीन सौ पचास रुपये) प्रति प्रशिक्षु प्रतिदिन की दर से व्यय किया जाएगा। खेल विधावार भोजनादि का मेन्यू का निर्धारण निदेशालय से अनुमति प्राप्त कर किया जायेगा। प्रशिक्षुओं हेतु एक वर्ष में अधिकतम 330 दिनों के लिए भोजनादि की व्यवस्था की जाएगी। प्रशिक्षुओं को भोजनादि उपलब्ध कराने हेतु निविदा के माध्यम से कैटर का चयन किया जाएगा ।

- (iv) खेल किट - वर्ष में 2 (दो) बार प्रशिक्षुओं को एक-एक सेट खेल किट (टी-शर्ट एवं शॉर्ट्स, वार्मअप शूज, मोजे, ट्रैक सूट आदि) उपलब्ध कराये जाएंगे। इसके अलावे संबंधित खेल के खिलाड़ियों के लिए खेल प्रतियोगिता किट भी आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (v) परिधान - खिलाड़ियों/प्रशिक्षकों के पोशाक में एकरूपता लाने के लिए Ceremonial Kit भी उपलब्ध कराये जायेंगे, जिसमें एक सेट पैंट, शर्ट, टाई, टोपी, ब्लेजर, मोजे, जूते सम्मिलित होंगे। यह परिधान एक वर्ष में एक बार देय होंगे एवं आवश्यकतानुसार भी उपलब्ध कराये जा सकेंगे।
- (vi) शैक्षणिक व्यय - आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र के खिलाड़ियों को निःशुल्क शिक्षा देने हेतु खिलाड़ियों के लिये अध्ययन एवं खेल अभ्यास को दृष्टिगत रखते हुये जिला खेल संचालन समिति द्वारा समुचित व्यवस्था की जायेगी।
- (vii) बीमा - खिलाड़ियों/प्रशिक्षकों का चिकित्सा एवं दुर्घटना बीमा कराया जाएगा।
- (viii) प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र में मल्टी जिम (Multi Gym) की व्यवस्था की जाएगी।
- (ix) प्रशिक्षण केन्द्र में प्रत्येक दिन एक हिन्दी एवं एक अंग्रेजी समाचार पत्र एवं माह में एक खेल पत्रिका (हिन्दी/अंग्रेजी) का क्रय किया जा सकेगा।
- (x) प्रशिक्षण केन्द्र के प्रशिक्षणार्थियों का प्रत्येक तीन माह में चिकित्सीय जाँच करायी जाएगी।

6. खेल छात्रावास संचालन हेतु निम्न प्रकार व्यवस्था की जायेगी:-

- (i) आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र पर विभाग द्वारा अनुमोदित एक समान ब्रांडिंग का डिस्प्ले बोर्ड एवं केन्द्र के प्रवेश स्थल पर एक सूचनापट्ट की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी।
- (ii) छात्रावास भवन में सामान्यतया प्रत्येक 04 प्रशिक्षु के लिए 01 कमरा, वार्डन के लिए 01 कमरा, भंडार के लिए 02 कमरे (01-रसोई भंडार, 01-खेल उपकरण एवं किट भंडार). रसोईघर 01, डायनिंग हेतु 01 कमरा, कॉमन रुम 01, पुस्तकालय-सह-अध्ययन कक्ष 01, जिम हेतु 01 कमरा, योगा हेतु 01 कमरा, अतिथियों के लिए 01 कमरा, सुरक्षाकर्मियों व अन्य कर्मियों के लिए 01 कमरा, चिकित्सा हेतु 01 कमरा एवं बहुदेशीय अतिरिक्त 01 कमरा एवं सबों के लिए सुविधायुक्त शौचालय की व्यवस्था होगी। प्रशिक्षक के लिए आवासन की व्यवस्था छात्रावास परिसर में साथ में हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा।
- (iii) छात्रावास भवन के सभी कमरों हेतु पर्याप्त फर्नीचर की व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक प्रशिक्षु को नामांकन के समय एक सिंगल बॉक्सबेड, एक गद्दा, एक तकिया, एक स्टडी टेबल व कुर्सी, एक बुक रैक, कपड़ों के लिए एक आलमारी, एक मच्छरदानी, एक

- कम्बल, दो तौलिया, दो बेडशीट, दो तकिया कवर आवंटित किए जाएँगे। निजी उपयोग के कपड़े, कॉस्मेटिक्स, साबुन, वाशिंग पावडर, तेल, आदि की व्यवस्था केन्द्र के द्वारा नहीं की जाएगी।
- (iv) पूरे छात्रावास परिसर में बिजली की व्यवस्था की जाएगी। बिजली की वायरिंग, सभी कॉमन स्थल, सभी आवासन के कमरों, डायनिंग, रसोई, छात्रावास परिसर, आदि में बिजली की व्यवस्था की जाएगी। सभी आवासन के कमरों में सीलिंगफैन लगाए जाएंगे। सभी विद्युत उपकरणों की मरम्मत एवं रख-रखाव संबंधित जिला खेल पदाधिकारी के माध्यम से मासिक आधार पर कराए जाएंगे। बिजली व्यवस्था अबाधित बनाए रखने हेतु छात्रावास में पर्याप्त क्षमता के इनवर्टर/सोलर पावर की व्यवस्था की जाएगी। गर्मियों हेतु एयर कूलर, फ्रिज व शुद्ध ठंडे पेयजल की व्यवस्था व कॉमन रूम में टीवी की व्यवस्था होगी। इससे सम्बन्धित आवर्ती व्यय यथा - वार्षिक अनुरक्षण एकरारनामा, छात्रावास में केबल/डिश, इंटरनेट व्यय आदि का वहन खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय द्वारा संबंधित जिला खेल पदाधिकारी के माध्यम से किया जाएगा।
- (v) प्रत्येक आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र के छात्रावास में सुरक्षा की दृष्टिकोण से आवश्यकतानुसार सी०सी०टी०वी० कैमरा का अधिष्ठापन किया जाएगा, जिसकी निगरानी संबंधित जिला खेल पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
- (vi) प्रशिक्षक को खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय की ओर से इंटरनेट की सुविधा सहित स्मार्ट-फोन अथवा टैब दिया जाएगा। आवश्यकतानुसार उक्त फोन/टैब का इस्तेमाल इंटरनेट हॉटस्पॉट व वाई-फाई उपलब्ध कराने के लिए किया जाना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक केन्द्र पर एक कम्प्यूटर सेट की व्यवस्था होगी, जिसका प्रयोग कार्यालयीय कार्यों के अतिरिक्त प्रशिक्षुओं को कम्प्यूटर के प्रशिक्षण के लिए भी किया जाएगा।
- (vii) छात्रावास में एक रसोईघर की व्यवस्था होगी, जिसमें भोजन तैयार करने की जिम्मेवारी बाह्यस्रोत एजेंसी की होगी, जिसे नियमानुसार निविदा के माध्यम से चयन किया जाएगा। चयनित बाह्यस्रोत एजेंसी को रसोईघर, डायनिंग हॉल व 01 भंडारगृह उपलब्ध कराया जाएगा। उक्त क्षेत्र की साफ-सफाई एवं रख-रखाव बाह्यस्रोत एजेंसी के द्वारा किया जाएगा। बाह्यस्रोत एजेंसी के द्वारा भोजन तैयार करने एवं खिलाने हेतु पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित कर्मी रखे जाएँगे, जो साफ-सुथरे रहेंगे व ड्रेस कोड का पालन करेंगे।
- (viii) विभाग द्वारा निर्धारित मेन्यू चार्ट के अनुसार प्रशिक्षुओं को भोजनादि उपलब्ध करायी जायेगी, जो प्रशिक्षुओं के उम्र, खेल विधा, मौसम, आदि के अनुसार परिवर्तित किया जा सकेगा। छात्रावास के डायनिंग हॉल में प्रत्येक माह का चार्ट साफ बड़े अक्षरों में प्रशिक्षक के द्वारा अंकित कर प्रदर्शित किए जाने की व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक परिवर्तन की

सूचना अग्रिम तौर पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा। औचक निरीक्षण के दौरान यदि प्रदर्शित चार्ट के अनुसार भोजन की तैयारी नहीं पाई जाती है, तो इसके लिए प्रशिक्षक एवं भोजन की व्यवस्था करने वाली एजेंसी को संयुक्त रूप से जिम्मेवार माना जाएगा, व जिला खेल पदाधिकारी ऐसे प्रत्येक चूक के लिए प्रशिक्षक की मासिक परिलब्धियों का एवं भोजन की व्यवस्था करने वाली एजेंसी के तत्सम्बन्धी पूरे माह के विपत्र से कम-से-कम 10-10 प्रतिशत की कटौती किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

7. खेल का मैदान:-

खेल के अनुरूप मैदान की तैयारी की जिम्मेवारी ग्राउंड्समैन की होगी, जिसकी नियुक्ति झारखण्ड खेल प्राधिकरण के माध्यम से की जायेगी। ग्राउंड्समैन संबंधित प्रशिक्षक से समन्वय स्थापित कर अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे। प्रैक्टिस स्थल पर चेंजिंग रूम एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था की जायेगी।

8. प्रशिक्षण:-

- (i) प्रत्येक केन्द्र के प्रशिक्षक मासिक आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम न्यूनतम 01 माह अग्रिम तैयार करेंगे तथा निदेशालय को उसकी प्रति निर्धारित प्रपत्र में भेजेंगे एवं संबंधित जिला खेल पदाधिकारी को भी उसकी प्रतिलिपि उपलब्ध करायेंगे।
- (ii) प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षु की अलग-अलग प्रशिक्षण डायरी बनायी जाएगी, जिसमें प्रशिक्षु का प्रोफाइल एवं उसके प्रदर्शन की जानकारी भी अंकित करनी होगी।
- (iii) संबंधित जिला खेल पदाधिकारी आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र के प्रशिक्षुओं की उपलब्धि एवं प्रगति संबंधी त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रशिक्षक से प्राप्त कर खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे।
- (iv) जिला खेल पदाधिकारी अपने जिले के प्रशिक्षण केन्द्रों का प्रतिमाह कम-से-कम एक बार निरीक्षण अवश्य करेंगे एवं तत्संबन्धी निरीक्षण प्रतिवेदन निदेशक, खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय को भेजेंगे। जिला खेल पदाधिकारियों को इसके लिए एक प्रपत्र दिया जाएगा, जिसके आधार पर ही वे निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे।

9. वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण:-

- (i) आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र के प्रशिक्षुओं/प्रशिक्षकों को समय-समय पर Sports Science Specific Test एवं प्रशिक्षण की सुविधा दी जाएगी।
- (ii) समय-समय पर अलग-अलग भौगोलिक अवस्था एवं मौसम के अनुरूप राज्य के अन्य स्थलों या राज्य के बाहर प्रशिक्षुओं को विशेष प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था की जाएगी।
- (ii) आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर की तकनीकी कौशल, प्रतियोगिताओं में खेलने के अनुभव हेतु समय-समय पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी,

ओलम्पियन, विशिष्ट प्रशिक्षकों द्वारा एडवांस कोचिंग, कैम्प का आयोजन किया जा सकेगा ।

- (iv) राज्य के आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्रों के उत्कृष्ट खिलाड़ियों/प्रशिक्षकों को एडवान्स ट्रेनिंग के लिए राज्य के बाहर के संस्थानों में भेजने की व्यवस्था की जाएगी।
- (v) आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र के प्रशिक्षुओं के लिए मैत्री मैच/प्रशिक्षण/आमंत्रण प्रतियोगिता/मैत्री प्रशिक्षण शिविर (Friendly Training Camp) भी आयोजित कराये जायेंगे ।
- (vi) आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र के प्रशिक्षुओं के लिए समय-समय पर आवश्यकतानुसार Sports Doctor की सुविधा खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय झारखण्ड खेल प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी, जो जिला/राज्य/देश के खेल संस्थानों/चिकित्सीय संस्थानों में कार्यरत हों ।
- (vii) आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र के प्रशिक्षुओं के लिए झारखण्ड खेल प्राधिकरण के माध्यम से फिजियोथेरेपिस्ट (पुरुष एवं महिला) की नियुक्ति संविदा/मानदेय के आधार पर की जाएगी ।
- (viii) आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र के प्रशिक्षुओं/प्रशिक्षकों के लिए समय-समय पर ऑनलाईन/ऑफलाईन माध्यम से स्पोर्ट्स साइकोलोजिस्ट/मोटिवेशनल स्पीकर/ संबंधित विशेषज्ञों द्वारा थ्योरी क्लासेस कराये जायेंगे ।

10. आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र में नामांकित प्रशिक्षुओं का मूल्यांकन, प्रवेश का नवीनीकरण एवं निष्कासन:-

- (i) आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र में खिलाड़ियों को सामान्यतया 19 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक के लिए प्रवेश दिया जाएगा तथापि खिलाड़ियों के प्रवेश का प्रतिवर्ष नवीनीकरण होगा ।
- (ii) नवीनीकरण खिलाड़ियों के खेल प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। खिलाड़ियों के प्रवेश के नवीनीकरण की अनुशंसा करने हेतु निदेशक खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय झारखण्ड, राँची द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा जिसमें संबंधित खेल के विशेषज्ञ भी सम्मिलित होंगे ।
- (iii) आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र में नामांकित प्रशिक्षु खिलाड़ियों के नामांकन को निम्नांकित स्थितियों में समाप्त किया जा सकता है:-
 - A. प्रशिक्षु की आयु 19 वर्ष पूर्ण हो गयी हो ।
 - B. प्रशिक्षु के मैट्रिक/इंटर/+2 उत्तीर्ण होने पर ।
 - C. 3-4 वर्षों के प्रशिक्षण के बाद भी खेल कुशलता में वृद्धि नहीं होने पर ।

D. प्रशिक्षुओं के नामांकन की समाप्ति हेतु संबंधित प्रशिक्षक द्वारा अनुशंसा संबंधित जिला खेल पदाधिकारी के माध्यम से निदेशालय के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण समिति को भेजी जाएगी।

(ix) यदि प्रशिक्षु खिलाड़ी के न्यूनतम प्रदर्शन, जिसके आधार पर उसका चयन किया गया था, में कमी आई हो एवं खिलाड़ी के द्वारा निर्धारित प्रदर्शन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया हो, तो उसके नामांकन को निरस्त किया जा सकता है।

11. अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण:-

- (i) मुख्यालय स्तर पर झारखण्ड खेल प्राधिकरण के अधीन कार्यकारी निदेशक, झारखण्ड खेल प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण कोषांग (Monitoring Cell) का गठन किया जाएगा, जो पूरे राज्य में संचालित आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन का नियमित तौर पर अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेगी। इस कोषांग में भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रतिनिधि, झारखण्ड ओलम्पिक संघ के प्रतिनिधि, संबंधित खेल के विशेषज्ञ शामिल होंगे।
- (ii) सभी प्रकार के अभिलेख व सूचना संग्रहण हेतु आवश्यक प्रपत्रों की तैयारी एवं एकत्रण हेतु प्रशिक्षक को अधिकृत किया जाता है। विभाग/खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय के द्वारा अपेक्षित सभी संबंधित सूचना एवं अभिलेख ससमय उपलब्ध कराना प्रशिक्षकों की जिम्मेवारी होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,
सरकार के सचिव

परिशिष्ट-1नये आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र के स्थापना हेतु आवश्यक अहर्त्ताएं-

क्र०सं०	अहर्त्ताएं
1	विद्यालय की पूर्ण विवरणी (संलग्न करें)
2	खेल मैदान की स्थिति क्या खेल मैदान स्मअमस है, अगर हाँ तो फोटो संलग्न करें।
3	क्या खेल मैदान में चाहरदीवारी है अगर है तो फोटो संलग्न करें।
4	विद्यालय की खेल में उपलब्धि (पूर्ण विवरणी संलग्न करें।)
5	प्रस्तावित खेल में खेलने वालों बच्चों की संख्या तथा आसपास के गाँवों के नाम जहाँ के बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, की विवरणी।
6	प्रशिक्षक की स्थिति (यदि उपलब्ध हैं तो उनकी पूर्ण विवरणी, योग्यता के साथ संलग्न करें।)
7	खिलाड़ियों के बैठने की व्यवस्था (पूर्ण विवरणी संलग्न करें।)
8	पेयजल की व्यवस्था (विवरणी संलग्न करें।)
9	पेवेलियन एवं उसमें चेंजिंग रूम की स्थिति (विवरणी फोटो के साथ संलग्न करें।)
10	पानी की निकासी की व्यवस्था
11	छात्रावास (कम्यूनिटी हॉल, अध्ययन कक्ष, बिजली, शौचालय, रसोई, भोजन कक्ष आदि) की व्यवस्था की विवरणी (फोटो संलग्न करें।)

संबंधित विद्यालय के
प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका
का हस्ताक्षर

उपायुक्त/उप विकास आयुक्त
का हस्ताक्षर
